

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
अपील संख्या – 634, 635, 636 व 637/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान—प्रथम, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स कोरस (इण्डिया) लि.,
डी-139ए, सुमित्रा पथ, बसंत मार्ग,
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री रामकरण सिंह,

उप—राजकीय अभिभाषक |

.....राजस्व की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा,

.....व्यवहारी की ओर से.

अभिभाषक |

निर्णय दिनांक : 31.07.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान—प्रथम, जयपुर द्वारा उक्त अपीलें उपायुक्त (अपील्स—प्रथम), जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 28.12.2010 के विरुद्ध पेश की गयी हैं, जो क्रमशः अपील संख्या 127, 128, 129 व 130/आरवैट/एपीपी—IV/2009—10/जी/2010—11 के संबंध में है तथा जिनमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान—प्रथम, जयपुर (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के तहत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2006—07, 2007—08, 2008—09 व 2009—10 (दिनांक 01.04.2009 से दिनांक 31.12.2009 तक) के लिये पारित पृथक—पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 15.02.2010 में अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति क्रमशः रु. 20,35,128/-, रु. 28,01,961/-, रु. 14,46,378/- व रु. 7,24,838/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया गया है।

2. चूंकि चारों प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादर्श्य है। अतः चारों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी का सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2010 को सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें पाया गया कि व्यवहारी द्वारा H.P. कम्पनी के प्रोडक्ट Multifunctional Devices (जिसे आगे 'MFD' कहा जायेगा) का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया जा रहा है। सशक्त अधिकारी ने पाया कि उक्त MFD आलौच्य अवधियों में वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के क्रम संख्या 65 अनुसार पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 03. Computer system and peripherals, computer printers and electronic diaries. की श्रेणी में नहीं आता है, जिस पर अधिनियम की अनुसूची-V अनुसार वैट दर 12.5 प्रतिशत है, जबकि व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत ही वसूल किया जा रहा है। अतः सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के अधिनियम की धारा 26, 61 व 55 के तहत पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए अन्तर कर, ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त कर, कर व ब्याज की मांग राशियों को यथावत रख, अपीलीय आदेश दिनांक 28.12.2010 पारित किया गया। उक्त पारित आदेशों से व्यक्ति होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

5. अपीलार्थी की ओर से उप—राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय आदेश को अपास्त कर, सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उक्त विवादित बिन्दु पर पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की हैं जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:-

- (i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)
- (ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)
- (iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस.टी.सी. 238 (राज.)
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन.टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226 /2009 से 229 /2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)
- (v) मैसर्स लार्ड वैकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन—प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.)
- (vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी. एस.टी. 249 (सु.को.)
- (vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम् मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]
- (viii) मैसर्स हयूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर—25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]
- (ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर—7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]
- (x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437 /2009 से 1439 /2009 /अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
- (xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत—तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी—139, रोड़ नम्बर—12, वी.के.आई.ए. जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073 /2010 /जयपुर, 1305 से 1308 /2010 /जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
- (xii) मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन—तृतीय, जयपुर अपील क्रमांक 332 से 335 /2011 /जयपुर निर्णय दिनांक 19. 07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

7. इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर

योग्य विक्य के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की हैं जिनमें किसी प्रकार की विक्य की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्य संव्यवहारों के बहीरात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि समत होना नहीं माना गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में उक्त विवादित बिन्दु पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

9. परिणामतः, अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय प्रसारित किया गया।


31.3.2015
(मदन लाल)

सदस्य


(सुनील शर्मा)

सदस्य